न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम—129

	Record Manual 1941 Rule-129
Schedule-14 Form No562	

अपीलकर्त्ता / प्र०प० / आवेदक **इसमाइल उराँव वगै०** Appellant/F.P/Petitioner

प्रतिवादी / द्वि०प० / विपक्षी **झारखण्ड सरकार वगैरह** Respondent/S.P./O.P.

आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date

17.11.2022

आवेदक—1) इसमाइल उराँव, 2) कालीया एक्का उर्फ कल्याण उराँव, दोनों पे0—माकेस उराँव, सा0—जारगो, बासु टोला, डाकखाना—जारगो, थाना—तमाड़, जिला—राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता कबीर स्वाँवी के माध्यम से द्वितीय पक्ष:—झारखण्ड सरकार वगैरह के विरूद्ध निम्नलिखित भूमि पर भू—वापसी का वाद दायर किया गया है। आवेदंक का कहना है कि निम्नांकित जमीन को विपक्षी ने छल प्रपंज से नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। जिसे छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा—71 (ए) के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं.	खेंवट सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
जारगो	तमाङ्		3	7	436, 437,	14.09 एকड
	Total T				438, 439	
					440, 441	
					442, 443	
					444, 493	
					494, 500	
			MI WILL		511, 512	
	10,671				517, 518	
					520, 495	

आवेदन पंजीकृत कर उभय पक्ष को कारण पच्छा हेतु नोटिस निर्गत करें साथ ही अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक—<u>!5:12:2022</u> को रखें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

15.12.2022

यो वकालातामा ही गयी दिगंक - २१.12. 2022 की खें।

29.12.2022

अभिनेय अपराणिय प्रशास कर् के द्वारा अन्ती दी नारी | द्विताय प्रश्न की अर्ति से

अविश्व मिला No.-505

बाहेग पर पदाधिकारी का हस्ताहर
Order and Signature of Officer

29.12.2022

आर्थित स्थापित | प्रथम प्रकृ के द्वारा उस्ती हो गायी | द्वितीय

प्रमु की आरे से क्रमोंक-०५ एवं एह का वकालतमामा के साथ रोष

विप्र्मी का (क्रमोंक-०१ को दोड़कर) इस्ती की प्रमुकार बनाया अयार्थ

प्रथम प्रभू ने अपरोवन वार में विप्रमी क्रमोंक-०१

म्झारावण्ड साकार द्वारा अपरोवन वार में विप्रमी क्रमोंक-०१

म्झारावण्ड साकार द्वारा अपरोवन वार में विप्रमी क्रमोंक-०१

म्झारावण्ड साकार द्वारा अपरोवन को प्रमुकार बनाया अयार्थ

जो इस स्थायालय से वरीय स्थायालय ई | इस संबंध में प्रथम

प्रभू के बिह्यान आह्रावकता अपने समार्थन में कोई इस्तावेन प्रसुत

नहीं कर पाये | अतः प्रथम प्रभू के आवेदन को अस्वीकृत की नाती

Action

order w